उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा

- ☞ *शैक्षणिक योग्यता - एल एल०बी०*
- ☞ *आयु सीमा - अधिकतम 35 वर्ष*
- ☞ *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट)*

परीक्षा का कार्यक्रम

परीक्षा तीन चरणों में होगी–

1.	प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय)	200 अंक
2.	मुख्य परीक्षा (व्यक्ति-निष्ठ)	850 अंक
3.	साक्षात्कार	100 अंक

(A) प्रारम्भिक परीक्षा (3 घण्टे, 200 अंक)

नोट : *ऋणात्मक मूल्यांकन के रूप में एक-चौथाई अंक काटे जायेंगे।*

भाग I - सामान्य ज्ञान 50 अंक

भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेगी। प्रश्न मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग II : इसमें निम्न अधिनियम एवं विधियाँ सम्मिलित होंगी– 150 अंक

(a) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(b) हिन्दू विधि के सिद्धान्त
(c) मुस्लिम विधि के सिद्धान्त
(d) साक्ष्य अधिनियम
(e) दण्ड प्रक्रिया संहिता
(f) भारतीय दण्ड संहिता
(g) सिविल प्रक्रिया संहिता

(B) मुख्य परीक्षा

1. **वर्तमान परिदृश्य** 150 अंक

यह प्रश्न-पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यत: वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की ओर उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यत:–

(a) विधि शास्त्र

(b) अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता

(c) नवीनतम विधायन एवं विशेष क्रम में भारतीय संवैधानिक विधि और विकास

2. **भाषा** 100 अंक

(a) अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद 30 अंक

(b) हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद 30 अंक

(c) संक्षिप्तिकरण लेखन 40 अंक

3. **विधि प्रश्न-पत्र I (मौलिक विधि)** 200 अंक

(a) संविदा विधि

(b) भागीदारी विधि

(c) सुखाचार अधिनियम

(d) अपकृत्य विधि

(e) सम्पत्ति अन्तरण के अन्तर्गत जिसमें साम्या का सिद्धान्त भी सम्मिलित है,

(i) न्यास

(ii) विनिर्दिष्ट अनुतोष

(f) हिन्दू विधि

(g) मुस्लिम विधि

4. **विधि प्रश्न-पत्र II (प्रक्रिया और साक्ष्य)** 200 अंक

(a) साक्ष्य विधि

(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता

(c) सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है,

प्रश्न-पत्र में मुख्यत: व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लेखन तथा मामलों को सामान्यतया व्यक्त करना आदि होगा, परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. **विधि प्रश्न-पत्र III (राजस्व और दाण्डिक)** 200 अंक

(a) भारतीय दण्ड संहिता

(b) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है)

नोट : *अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि यह विधि के समस्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।*

साक्षात्कार

व्यक्तित्व परीक्षा : *न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।*

टिप्पणी:

1. *व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।*
2. *आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का प्रर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।*

इस प्रयोजन के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट के क्रम में कई उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। किसी भी व्यक्तिगत विषय के लिए या व्यक्ति परीक्षण के लिए अलग-अलग उत्तीर्ण अंक नहीं होंगे और प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता सभी लिखित प्रश्न-पत्रों और व्यक्तिगत परीक्षण में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आयोग के पास कुल अंकों में योग्यता अंक तय करने का स्वविवेक होगा।

(C) कम्प्यूटर ज्ञान (प्रयोगात्मक परीक्षा)

माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज आपरेटिंग सिस्टम और मइक्रो ऑफिस (अधिकतम अंक -100, न्यूनतम योग्यता अंक-40, समय सीमा-1 घण्टा) प्रश्न-पत्र निम्न दिए गए विस्तार पाठ्यक्रम में से प्रत्येक खण्ड से एक-एक प्रश्न पूछा जायेगा:

1. विण्डोज और इण्टरनेट
2. एम.एस.वर्ड
3. एम.एस. एक्सेस
4. एम.एस. एक्सेल
5. एम.एस. पावर प्वांइट

प्रत्येक प्रश्न-पत्र में चार अंक वाले सिस्टम पर किये जाने वाले पांच प्रश्न होंगे। आउटपुट का प्रिंट आउट लिया जायेगा और मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा।

''लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाभी भी ताला खोल देती है।''

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम